BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926

BCCI BULLETIN

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

Vol. XXXXIV | 16th January 2013 | No. 1

माननीय मुख्यमंत्री ने चैम्बर के वार्षिक समारोह का उद्घाटन तथा नवीनीकृत साहू जैन हॉल एवं वेबसाइट का किया लोकार्पण

''सिद्धान्त के तौर पर ही सही केन्द्र सरकार ने हमारी बात स्वीकार की है। आगे चलकर चाहे जो निर्णय ले, मुझे प्रसन्नता है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बुनियाद बनती दिख रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की पूरी लड़ाई नयी पीढ़ी के लिए है। यह नयी पीढ़ी के जीवन को संवारेगा और उन्हें नये अवसर प्रदान करेगा''।

–श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

वार्षिक समारोह का उद्घाटन करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। उनकी दायीं ओर क्रमश: माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी एवं चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं बायीं ओर क्रमश: चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका एवं कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक–21 दिसम्बर, 2012 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने चैम्बर के वार्षिक समारोह का उद्घाटन एवं चैम्बर के नवीनीकृत साहू जैन हॉल एवं वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने अपने स्वागत सम्बोधन में कहा कि वे माननीय मुख्यमंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने चैम्बर के वार्षिकोत्सव का उद्घाटन तथा नवीनीकृत साहू जैन हॉल एवं वेबसाइट के लोकार्पण करने की अपनी कृपापूर्वक सहमति प्रदान की। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभारी हैं कि उन्होंने इस शुभ अवसर पर पधार कर हमारा उत्साहवर्द्धन किया।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि साहू जैन हॉल के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्यों में हमारे पूर्व अधयक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन ने जिस प्रकार व्यक्तिगत रूचि लेकर इस कार्य को सम्पन्न किया, उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, कम होगा। इस शानदार कार्य के लिए मैं आज के शुभ अवसर पर उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि चैम्बर ने अपना एक वेबसाइट का निर्माण किया है जिसमें स्थापना काल से लेकर अभी तक की गतिविधियों का संकलन है। 1926 से चैम्बर के इतिहास का संकलन एवं वेबसाइट निमार्ण, हमारे उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल की परिकल्पना एवं कठिन परिश्रम का प्रतिफल है। इसके लिए चैम्बर अध्यक्ष ने श्री खेतड़ीवाल को हार्दिक धन्यवाद दिया।

श्री साह ने आगे कहा कि वैट की प्रतिपूर्ति इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उद्यमी के खाते में जमा होने की व्यवस्था होनी चाहिए। 2010–11 के बजट में राज्य सरकार ने यह प्रस्तावित किया था कि उद्योग के इस्तेमाल में आने वाले कच्चे माल को प्रवेश कर से मुक्त किया जायेगा पर अभी तक इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इसी तरह प्लांट और मशीनरी को प्रवेश कर से मुक्त करने की बात कही गयी थी वह भी अभी लागू नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त 2010–11 के बजट में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि वैसी वस्तुएं जिन पर प्रवेश कर की दर, वैट की दर से अधिक है, उसे सुसंगत बनाया जायगा। इसका भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। कृपया इन सबों को क्रियान्वित करने की कृपा की जाय।

उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन था कि राज्य के उद्योग एवं व्यापार से जुड़ी समस्याओं एवं उनके उत्पीड़न के निदान हेतु ''उद्यमी आयोग'' का गठन किया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने अनुरोध किया कि ''उद्यमी आयोग'' का गठन शीघ्रातिशीघ्र कराया जाए ताकि उद्यमियों एवं व्यवसायियों के रोज की परेशानियों एवं उत्पीड़न के निराकरण हेतु एक उचित मंच मिल सके।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज का दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी का है, साथ ही साथ चैम्बर के लिए ऐतिहासिक भी है । 21 दिसम्बर 1926 के दिन ही बिहार एवं उड़ीसा की राज्य सरकार ने, उस समय के नियमानुसार बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को औपचारिक मान्यता दी थी ।

आज एक बार पुनः, 21 दिसम्बर को ही हमलोगों के बीच, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, अपने बहुमुल्य समय में से समय निकालकर, यहाँ पधारने की कृपा की है, यह हमलोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है ।

श्री अग्रवाल ने कुछ विषयों पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया :-

महोदय, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, उच्च/तकनीकी अध्ययन संस्थान, इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर उद्योग, वस्त्र उद्योग, इत्यादि थ्रस्ट एरिया घोषित था तथा संकल्प किया गया था कि थ्रस्ट एरिया के उद्योगों के लिए संबंधित विभागों द्वारा अलग से प्रोत्साहन नीति, निर्गत की जाएगी । लेकिन इसमें वर्णित उद्योगों के लिए अलग से संबंधित विभागों द्वारा नीतियों की घोषणा नहीं हो पाई है अतः निवेदन है कि इस पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए ।

बिहार में Pre Stressed/Cast Concrete Pole (PSC/PCC Pole) बनाने की लगभग 40 कारखानें कार्यरत हैं लेकिन विद्युतीकरण का Contract बड़ी कम्पनियों को Turn Key basis पर दिया जाता है, जिनके द्वारा ही PSC/PCC Poles का क्रय किया जाता है । बिहार में PSC Pole पर 13% टैक्स लगता है जबकि बिहार के बाहर से इसे मंगाने पर केवल 2% CST की ही देयता बनती है । इस प्रकार से बिहार में विनिर्मित PSC Pole बाहर की तुलना में 11% अधिक महंगा हो जाता है । इसके कारण PSC Pole के निर्माण में लगी इकाईयाँ बूरी तरह से प्रभावित हो रही है ।

सरकार की घोषणा रही है कि बिहार की वैट दरों को पड़ोसी राज्यों (मुख्यतः पश्चिम बंगाल) के समान रखा जाए । PSC Pole पर बिहार में 13% वैट लगता है जबकि पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि में इस पर वैट की दर 5% है । अतः अनुरोध है कि PSC Pole पर वैट को 13% के बदले 5% किया जाए जिससे कि ऐसे औद्योगिक इकाईयों को कुप्रभाव से बचाया जा सके ।

इसके अतिरिक्त श्री अग्रवाल ने कुछ अन्य विषयों पर भी माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया –

- हल्दीया-जगदीशपुर गैस पाइप लाईन में बिहार को गैस में हिस्सेदारी तथा पर्याप्त आवंटन हेतु प्रयास एवं एम.ओ.यू. किया जाना चाहिए
- सरकार द्वारा उद्यमियों के लिए ''व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना'' प्रारम्भ की गई थी जिसका उद्यमियों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया था । लेकिन इधर दो-एक साल से यह योजना अभी बन्द है । अतः निवेदन है कि इस योजना को पुनः चालू किया जाय
- हाल के वर्षों में भामाशाह सम्मान योजना का लाभ भी व्यवसायियों को प्राप्त नहीं हो पाया है इसके क्रियान्वयन का आग्रह है ।

माननीय मुख्यमंत्री ने वार्षिक समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम ने संसद के विशेष राज्य के लिए तय मानदण्ड पर नए सिरे से विचार करने की बात कही है । राज्य सभा में सांसद श्री एन० के० सिंह ने इससे जुड़ा सवाल किया था । उन्होंने कहा कि केन्द्र आगे चाहे जो निर्णय ले, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बुनियाद बनती दिख रही है ।

उन्होंने कहा कि हमने अपनी हाल की दिल्ली यात्रा मे प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह एवं वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम से मिलकर कहा था कि पिछड़े राज्य विकास के विभिन्न मानकों पर राष्ट्रीय औसत से कितनी दूरी रखते हैं, इस पर विचार किया जाये । मुख्यमंत्री ने कहा वित्त मंत्री ने मुलाकात के दौरान कहा था कि बिहार का अच्छा विकास हो रहा है, इसका विकास दर 12 प्रतिशत है, जबकि हम 11 प्रतिशत समझते थे । योजना आयोग के दस्तावेज में दर्शाया गया है कि पिछले पाँच वर्षों में बिहार का विकास दर 12-11 प्रतिशत है । इस गति से बिहार में तरक्की होती रही तो भी बिहार को राष्ट्रीय औसत पर पहुँचने में 25 से 30 वर्ष लगेंगे । इतने दिनों तक हमारी युवा पीढ़ी प्रतीक्षा नहीं कर सकती है । बिहार की आबादी देश की कुल आबादी का 8 प्रतिशत है । बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में हमारा योगदान 8 प्रतिशत होना चाहिए था, जो मात्रा 2.9 प्रतिशत है ।

उन्होंने कहा कि जबतक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तबतक हम मांग करते रहेंगे । बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से नई पीढ़ी के लिए रोजगार के नये अवसर मिलेंगे । राज्य में उत्पादकता बढ़ेगी, निवेशकों को केन्द्रीय करों में छूट मिलेगी तथा कल-कारखाने स्थापित होने से रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे । केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में बिहार को कम राशि देनी होगी, इस पैसे से नयी-नयी विकास कार्यक्रमों को शुरू किया जायेगा ।

माननीय मुख्यमंत्री के मुताबिक यह खुशी की बात है कि कम से कम सैद्धांतिक रूप में ही सही केन्द्र सरकार ने हमारी बात स्वीकार की है । बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की पूरी लड़ाइ नयी पीढ़ी के लिए है । यह नयी पीढ़ी के जीवन को सँवारेगा और उन्हें नये अवसर प्रदान करेगा । उन्होने चैम्बर को सलाह दी कि वह युवा पीढ़ी को अपने संगठन से जोड़े, उन्हें मौका दें और अध्ययन व मूल्यांकन का काम चैम्बर करे ।

माननीय मुख्यमंत्री ने साहू जैन हॉल के मुख्य स्वरूप में बदलाव नहीं करते हुए भव्य रूप देने के लिए अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह सहित सभी सदस्यों को शुभकामनाएँ दी । श्री साह के कार्यकाल की तारीफ करते हुए आने वाले अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल को भी बधाई दी ।

इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार अब जिला स्तर पर वैसे बैंकों की सूची तैयार करेगी जो शाख योजना के तहत काम नहीं कर रही है । उन बैंकों में सरकार अपना पैसा नहीं रखेगी । जिस गति से सरकार दौड़ रही है उस गति से बैंक नहीं दौड़ रहे है । उन्होंने हॉल का बेहतर रूप देने के लिए चैम्बर के सदस्यों को साधुवाद दिया ।

कार्यक्रम का संचालन पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन ने किया । उक्त अवसर पर शॉल ओढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री को चैम्बर अध्यक्ष ने सम्मानित भी किया ।

वार्षिक समारोह में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, श्री डी० पी० लोहिया एवं श्री मोती लाल खेतान, उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं श्री नन्हे कुमार, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन तथा महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका सहित सम्मानित अतिथिगण, चैम्बर के सदस्यगण एवं मीडिया कर्मी काफी संख्या में उपस्थित थे । महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न हुआ ।

चैम्बर की 85वीं वार्षिक आम सभा सम्पन्न

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का 85वीं वार्षिक आमसभा दिनांक 29.12.2102 को संपन्न हुई जिसमें श्री पी० के० अग्रवाल सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हुए । आमसभा ने सर्वसम्मति से ही श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल को पुनः उपाध्यक्ष एवं श्री संजय कुमार खेमका को महामंत्री निर्वाचित किया । नये सत्र के लिए श्री मुकेश कुमार जैन को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया ।

वार्षिक आमसभा ने सत्र 2012-13 के लिए निम्नलिखित सदस्यों को चैम्बर की कार्यकारिणी समिति का सदस्य निर्वाचित किया – सर्वश्री अमर कुमार अग्रवाल, अनिल कुमार, अरविन्द मित्तल, आशीष शंकर, अवधेश कुमार, मनोज आनन्द, नवीन गुप्ता, ओम प्रकाश टिब्रेवाल, प्रदीप कुमार, राज कुमार सराफ, राजेश जैन, सच्चिदानन्द, संजीव खुराना, सावल राम ड्रोलिया, श्याम सुन्दर हिसारिया, सुरेन्द्र मोहन गुप्ता एवं विशाल टेकरीवाल ।

वार्षिक आमसभा में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए जैसे – वैट, रेलवे एंड ट्रान्सपोर्ट, ऊर्जा, श्रम एवं सूचना का अधिकार अधिनियम ।

नव निर्वाचित अधयक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने उन्हें सर्वसम्मति से चैम्बर का अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद दिया एवं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पूरे टीम का प्रयास होगा कि चैम्बर राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय के चहुमुखी विकास के अपने लक्ष्यों में अवश्य

सफल हो । उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया कि उनकी पूरी टीम राज्य के व्यवसायियों एवं उद्यमियों के हितों के लिए सदैव तत्पर एवं पूर्णरूपेण समर्पित रहेगी । साथ ही राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए सरकार के हर प्रकार के प्रयासों में सदैव सहयोग करेगा ।

श्री पी० के० अग्रवाल
अध्यक्ष

श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल
उपाध्यक्ष

श्री मुकेश कुमार जैन
कोषाध्यक्ष

श्री संजय कुमार खेमका
महामंत्री

श्री शशि मोहन
उपाध्यक्ष

चैम्बर की कार्यकारिणी ने उपाध्यक्ष एवं महामंत्री का किया मनोनयन

चैम्बर की कार्यकारिणी समिति ने दिनांक 12 जनवरी, 2013 को आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के एक रिक्त पद पर श्री शशि मोहन को मनोनीत किया । इसके अतिरिक्त महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका के अपरिहार्य कारणों से त्याग-पत्र दिये जाने के पश्चात् श्री ए० के० पी० सिन्हा को महामंत्री के पद पर मनोनीत किया । कार्यकारिणी ने श्री संजय कुमार खेमका के महामंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में लिये गये कार्यों की काफी सराहना भी की ।

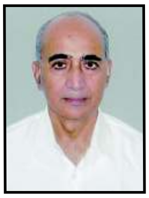

श्री ए० के० पी० सिन्हा
महामंत्री

CHAMBER HAS DEMANDED CERTAIN DEDUCTIONS UNDER INCOME TAX ACT FOR THE INDUSTRIES OF BIHAR FOR RAPID INDUSTRIAL & ECONOMIC DEVELOPMENT OF BIHAR, COPY OF WHICH IS AS UNDER :-

(1.) SECTION 80IB(4) OF INCOMETAX ACT 1961

TO INCLUDE STATE OF BIHAR IN THE LIST OF INDUSTRIALLY BACKWARD STATES IN EIGHT SCHEDULES SO THAT SPECIAL NORM (IN) RESPECT OF INCOME TAX ALSO) MAY BE PROVIDED TO THE BIHAR STATE SUB SECTION (4) OF SECTION 80IB of Income Tax Act 1961 provides for deduction of 100% for five assessment years and thereafter for further 5 assessment years, twenty five percent (Thirty percent in case of company) of the profit and gains derived from Industrial undertaking in Industrially backward state specified in the Eight Schedule of Income Tax Act.

It is very unfortunate that industrially backward state Bihar, is not included in the list of Industrially backward states in Eight Schedule of Income Tax Act 1961. To claim aforesaid deduction u/s 80 IB of Income Tax Act, 1961.

The demand of Bihar for Special Norms for the State is pending since long time. If decision is made for Special Norms for the state then Bihar will get 100% tax exemption for at least five years under Income Tax Act. Since decision for Special Norms for the state is pending hence pending demand for Special Status for Bihar we request that State of Bihar should be included in Eight Schedule of Income Tax Act, 1961 for 100% exemption to the Industrial undertakings from Income Tax for five years.

(2.) SECTION 80 IB(5) OF INCOME TAX ACT -1961

Earlier there was provision that if whole state can not be declared as Industrially backward State, then Industrially backward districts of such State can avail deduction of 100% for five assessment year and thereafter for five years twenty five percent (thirty percent in the case of company) of the profit and gains for category 'A' Industrially backward districts and 'B' category districts can also avail deduction of 100% for three assessment years and thereafter 25% or 30% as applicable for further five assessment years.

But this deduction was withdrawn w.e.f. 01-04-2004 hence it is suggested to re- store the provision so that industrialist of category 'A' districts of Bihar, i.e. (1) Araria (2) Madhepura (3) Khagaria (4) Kishanganj (5) Madhubani (6) Jehanabad (7) Saharsa (8) Nawadah (9) Sitamarhi (10) Aurangabad (11) East Champaran (12) Purnia (13) Siwan (14) Vaishali

And **category 'B' districts of Bihar** (1) Katihar (2) Bhagalpur (3) Gopalganj (4) Darbhanga (5) West Champaran (6) Saran (7) Bhojpur (8) Samastipur (9) Nalanda (10) Gaya (11) Muzaffarpur (12) Rohtas can also claim such deduction which will definitely increase the industrial progress of the State.

(3.) Under the existing provisions of section 35 AD of the Income Tax Act, investment linked tax incentive is provided by way of allowing an amount equal to one fifty percent or hundred percent (as applicable) deduction in respect of any expenditure of capital nature (other than on land, goodwill and financial instrument) incurred wholly and exclusively, for the purposes of the certain "specified business" like:-

- **(i)** setting up and operating a cold chain facility;
- **(ii)** setting up and operating a warehousing facility for storage of agricultural produce;
- **(iii)** laying and operating a cross-country natural gas or crude or petroleum oil pipeline network for distribution, including storage facilities being an integral part of such network;
- **(iv)** building and operating, anywhere in India, a [hotel] of two-star or above category as classified by the Central Government.
- **(v)** building and operating, anywhere in India, a [hospital] with at least one hundred beds for patients;
- **(vi)** developing and building a housing project under a scheme for slum redevelopment or rehabilitation framed by the Central Government or a State Government, as the case may be, and notified by the Board in this behalf in accordance with the guidelines as may be prescribed;
- **(vii)** developing and building a housing project under a scheme for affordable housing framed by the Central Government or a State Government, as the case may be, and notified by the Board in this behalf in accordance with the guidelines as may be prescribed;
- **(viii)** production of fertilizer in India.
- **(ix)** Setting up and operating an inland container depot or a container freight station notified or approved under the Customs Act, 1962 (5 of 1962);
- **(x)** bee-keeping and production of honey and beeswax;
- **(xi)** Setting up and operating a warehousing facility for storage of sugar.

This benefit has been given to above sectors where the government thinks it is vital for economic growth of the State.

In India LICHI is the most delicious export commodity is grown mostly in Bihar. If benefits like 35 AD of Income Tax Act 1961 is given, it would encourage the production and processing of LICHI. It would also enhance the export of LICHI.

The State of Bihar is known for producing MAIZ. The produce is

being dispatch outside the state without processing it. If similar concession is given u/s 35 AD of Income Tax Act 1961 on production and processing of the MAIZ, it would definitely boost the chances of industrial growth in BiharState related to MAIZ and other allied Industries.

In view of the above, we request to include the following in the above list of 35 AD of Income Tax Act 1961.

1. Production, Processing & Packaging of LICHI.
2. Production & Processing of MAIZ.
3. Packaging of Food & Agro Produces.

(4.) APPOINTMENT OF INCOME TAX OMBUDSMAN AT PATNA ALSO

The present Income Tax Ombudsman Guidelines 2010, which came into effect from 1st May 2010, prescribes location of offices at 11 places in the country though presently it is working at 12 places because there is also provision to notify additional locations for appointment of an ombudsman. Chandigarh has been notified as an additional location later on.

We had earlier, on 16th March 2009, requested the Chairman, Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, Govt. of India to appoint an Income Tax Ombudsman in the State of Bihar, so that the complaints from tax payers could be considered and suitable award be passed in accordance with the guidelines.

Our request for appointment of Ombudsman has not been as yet favorably considered. Therefore, it is requested on behalf of the tax payers of the State to consider the demand and do the needful for appointment of Income Tax Ombudsman at Patna also.

2013 RESOLUTIONS

" Our resolution for 2013 is to demand special package from the Centre for Bihar so that we could take the state to the mainstream of national development by accelerating industrial development." — ***P. K. Agrawal,*** *President, BCCI*

(Source : *T.O.I., 01/1/2013)*

POWERFUL WISHES

"Unavailability of power and land are the two major problems for industries. These should be sorted out in 2013. The government should explore sources of alternative energy and demarcate land for industrial use". — ***P. K. Agrawal,*** *President, BCCI*

(Source : *The Telegraph, 01/1/2013)*

प्रवासी भारतीय दिवस (7-9 जनवरी, 2013)

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष कोची, केरल में दिनांक 7 से 9 जनवरी 2013 तक प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में चैम्बर का प्रतिनिधित्व चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नन्हे कुमार एवं पूर्व महामंत्री श्री एन० के० ठाकुर ने किया।

प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान लिए गये फोटो में बाँयें से चौथे स्थान पर श्री एन० के० ठाकुर एवं छठे स्थान पर श्री नन्हे कुमार । साथ में बिल्डर एसोसियेशन पटना चैप्टर के सदस्यगण ।

बिहार उत्पादों को मिलेगी नयी पहचान

उद्योग-धंधों का विकास इस वक्त विकसित होते बिहार की सबसे बड़ी जरूरत है। राज्य की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, बेरोजगारी और पलायन की समस्या का निदान इसी से संभव है। ऐसे में उद्यमियों की समस्याएं सुनने के लिए मुख्मंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियमित रूप से उद्यमी पंचायत का आयोजन एक सराहनीय पहल कही जा सकती है। बीते साल सिंतबर में बिहार उद्योग संघ के सालाना समारोह में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जिस महीने में पांच सोमवार होंगे, उसमें पाँचवें सोमवार को इसका आयोजन किया जायेगा। इसी कड़ी में बीते साल के आखिरी दिन भी पटना में उद्यामी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित समस्याएं और सुझाव रखे गये। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं । उन्होंने कहा कि राज्य से चावल और गेहूँ अन्य राज्यों में बड़ी मात्रा में जाते हैं, लेकिन इनकी ब्रांडिंग नहीं हो पाती। भविष्य में इनकी ब्रांडिंग की जायेगी, ताकि कतरनी, बासमती, आनंदी, गोविंद भोग आदि जैसे बिहार के गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों को नयी पहचान मिल सके। उन्होंने उद्यमियों से भी इस दिशा में पहल करने को कहा। जाहिर है, इन उत्पादों की ब्रांडिंग प्रकारांतर में यहाँ के किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में भी सहायक होगी। उद्यमी पंचायत में यह घोषणा भी की गयी कि बिना उपयोग के पड़ी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) की आवंटित भूमि को लेकर एक एक्जिट पॉलिसी बनेगी, जिससे किसी कारणवश उद्योग नहीं लगा पानेवाले उद्यमी उन जमीनों का हस्तांतरण कर सकें। राज्य में कानून-व्यवस्था और सड़कों की स्थिति बेहतर होने तथा निवेशकों को आकर्षित करने की नयी नीतियां बनने के बाद से निवेश के ढेरों नये प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन सैकड़ों उद्यमी ऐसे भी हैं, जो निवेश प्रोत्साहन परिषद की सहमति मिलने और जमीन आवंटित होते के बाद भी उद्योग नहीं लगा सके हैं। ऐसे उद्यमियों द्वारा जमीन लेने की मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है। इसलिए मुख्यमंत्री ने इसकी लगातार मॉनीटरिंग के निर्देश दिये। उन्होने 'आओ बिहार' योजना को भी प्रभावी बनाने को कहा। राज्य सरकार ने 2011 में नयी औद्योगिक नीति के अलावा 'आओ बिहार' नाम से जमीन लेने की एक वैकल्पिक योजना भी बनायी थी। हालांकि योजना को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायी है। जाहिर है, उद्यमी पंचायत जैसे आयोजन निवेश की बाधाएं दूर करने, निवेशकों का भरोसा जीतने के साथ-साथ बिहारी उत्पादों को नयी पहचान दिलाने भी मददगार साबित होंगे। **(साभार : प्रभात खबर, 2-1-2013)**

आ रही बियाडा की एग्जिट पालिसी

मुख्यमंत्री ने उद्यमी पंचायत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से समस्याओं व सहूलियतों पर बात की

बियाडा (बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार) की 'एग्जिट पालिसी' जल्द अस्तित्व में आएगी। इससे औद्योगिक परिसर में बगैर उपयोग की पड़ी जमीन का उपयोग आसान हो सकेगा। मुख्मंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संवाद कक्ष में हुई उद्यमी पंचायत के बाद उद्योग मंत्री रेणु कुशवाह्य और औद्योगिक विकास आयुक्त नवीन वर्मा ने यह जानकारी दी। उद्यमी पंचायत में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे।

बियाडा द्वारा औद्योगिक परिसर में उद्यमियों को आवंटित जमीन के बारे में अभी यह प्रावधान है कि उनके द्वारा अगर जमीन का उपयोग नहीं किया जाता है तो वे स्वेच्छा से उसे नहीं छोड़ सकते हैं। इसके स्थानांतरण की प्रक्रिया भी जटिल है और वह अपेक्षाकृत मंहगी भी। इस समस्या से निपटने के लिए उद्योग विभाग एग्जिट पालिसी पर काम कर रहा था । यह पूरा हो चुका है। उद्योग मंत्री रेणु कुशवाहा ने बताया कि जल्द ही एग्जिट पालिसी अरितत्व में आ जाएगी। यह नीति स्वेच्छा से जमीन छोड़ने वाले और उद्योग लगाने के लिए जमीन लेने वाले को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि स्टेट इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एसआईपीबी) द्वारा जिन इकाइयों को अनुमति दी गयी है उनके अस्तित्व में आने में किस तरह की परेशानी है इसकी मानीटरिंग की जाए। जिस किसी तरह की समस्या है तो उसे दूर किया जाये । इस मौके पर उद्यमियों ने वाणिज्यकर विभाग से जुड़ी कुछ समस्याओं व जमीन से जुड़े मामलों की चर्चा की । मुख्यमंत्री ने कहा उद्यमी खाद्य प्रंसस्करण से जुड़ी इकाइयों को वैसी जगहों पर लगाए जहां से उनके लिए कच्चे माल की उपलब्धता में सहजता है। सरकार उन्हें वहां और भी सहायता उपलब्ध कराएगी। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार औद्योगिक परिसरों में ऊंची इमारत पर भी सोच रही है। तीस फीसद एफएआर की अनुमति देने को नीति लाये जाने पर विचार चल रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थिति	• एसआइपीबी ने 550 यूनिटों को अपनी स्वीकृति दी है। • 150 यूनिट जमीन पर और इनमें 54 ने उत्पादन शुरू कर दिया है।
स्वीकृति व उत्पादन एक नजर में	• चावल मिल 52 स्वीकृत, 16 में उत्पादन आरंभ • पंद्रह गेहूं मिल स्वीकृत, पांच पर काम शुरू • फल प्रसंस्करण इकाई 11 स्वीकृत, चार पर काम शुरू • मखाना यूनिट 3 स्वीकृत, एक शुरू

उद्योग मंत्री के अनुसार उद्यमियों ने नयी औद्योगिक इकाई पर मिलने वाले अनुदान की सीमा पर भी चर्चा की। अभी पांच करोड़ रुपये के औद्योगिक इकाई पर 35 प्रतिशत का अनुदान है। उद्यमियों का कहना है कि यह सीमा 20 करोड़ तक की होनी चाहिए। सरकार सिंगल विंडो सिस्टम में भी सुधार करने जा रही है।

औद्योगिक विकास आयुक्त नवीन वर्मा ने कहा कि फूड पार्क की स्थापना पर सरकार ने अधिकतम पंद्रह करोड़ रुपये के अनुदान का निर्णय लिया हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में अनुदान दिए जाने का असर यह हुआ है कि अब तक 149 इकाइयों को 352.71 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया। 123.11 करोड़ रुपये के अनुदान वितरित किए गए हैं। जिन 149 इकाइयों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है, उनमें 53 इकाइयां कार्यरत हो चुकी है। (साभार : दैनिक जागरण, 1-1-2013)

GOVERNMENT OF BIHAR
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

26 TH DECEMBER, 2012

Notification number 7571 Dated 27/12/2012 : In exercise of the powers conferred by sub-rule (6) of rule 41 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 the Commissioner specifies the following procedure for transportation of goods from any place inside Bihar to any place outside Bihar for or on behalf of a dealer registered under the Act:

2. Transportation of goods from any place inside Bihar to any place outside Bihar- (1) The provisions of sub-clause (1), sub-clause (2), sub-clause (2) and sub-clause (4) of departmental notification number 5350 dated 5th July, 2012 relating to registration of a new user, login, filling up and submission of the application form, generation and, if required, modification of electronic transaction identification number and non-generation of the said identification number in case of dealers defaulting in filing of returns or payment of taxes shall apply, *mutatis mutandis,* to such transportation of goods to a place outside Bihar from any place inside Bihar.

(2) For the purposes of this notification the applicant shall upload, onto the official website of the commercial Taxes Department the information specified in the form appended hereto and, for the purposes of the Act, the said form shall be deemed to be the form of declaration for transportation of goods to a place outside Bihar from any place inside Bihar.

(3) The particulars relating to name of the transport/courier agency, the registration number of the vehicle on which the goods are being transported and the name of the check post through which the consignment is likely to be transported outside the state of Bihar may be modified by the applicant himself, at any time before the arrival of the vehicle at the check post of exit, or by the monitoring authority of the check post upon its arrival at the such check post:

Provided that no such modification shall be permitted after the vehicle has crossed the exit check post or the expiry of the validity period, whichever is earlier.

(4) The Provisions of sub-clause (5), sub-clause (6), sub-clause (7) and sub-clause (8) of departmental notification number 5350 dated 5 th July, 2012 relating to the furnishing of the electronic transaction identification number to the monitoring authorities, their approval and permission for onward transportation, penalty for violation and checking *en route,* shall apply *mutatis mutandis*, to such transportation of goods to a place outside Bihar from any place inside Bihar.

3. Validity - (1) The electronic transaction identification number generated in accordance with the foregoing shall be deactivated upon its exit, by the monitoring authorities specified in rule 41 of the Bihar Value added Tax Rules, 2005, into the departmental computer systems at the exit check post or modified exit check -post ,as the case may be.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-clause (1), any electronic transaction identification number generated in accordance with the provisions of sub-clause (2) of clause 2 of this notification shall not be valid after a period of two hundred and eighty-eight hours after its issue.

4. This notification shall come into force with effect from 28th January, 2013.

Sd/
(Sudhir Kumar)
Commissioner, Commercial Taxes, Bihar, Patna

उद्योग केंद्र के महाप्रबंधकों को बियाडा की भी जिम्मेदारी

राज्य सरकार ने जिला उद्योग केंद्र के प्रहाप्रबंधकों को संबंधित जिले के बियाडा (बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार) की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। महाप्रबंधक, बियाडा के अधीन संचालित औद्योगिक क्षेत्रों पर नियंत्रण रखेंगे। शासनिक आदेश के मुताबिक महाप्रबंधक, बियाडा के मुख्यालय के पदाधिकारियों के निर्देश के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों में कामकाज करेंगे । यह उनकी अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी।

इसके दायरे में पटना, नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, मूजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी, मधेपुरा, बेगुसराय, मुंगेर , भागलपूर, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहारए, किशनगंज एवं लखीसराय जिलों के औद्योगिक केंद्रों के महाप्रबंधकों को रखा गया है। (साभार : दैनिक जागरण, 4-1-2013)

ई- रिटर्न दाखिल करते समय रखें खयाल

सजगता भी है जरूरी : • आयकर विभाग से मान्यता प्राप्त ईआरआई कर रहे हैं ई-रिटने दाखिल करने में करदाताओं की मदद • रिटर्न भरते समय पैन नंबर, टैन नंबर और खाता संख्या का ब्योरा सही देना है जरूरी • आईटीआर-वी भरते समय अपना ईमेल पता बिल्कुल सही लिखें क्योंकि रिटर्न जमा होने की पुष्टि इसी के जरिये होती है • ई-रिटर्न दाखिल करने के 120 दिन के भीतर बेंगलूर भेजना होता है आईटीआर-वी • आईटीआर-वी पर नीली स्याही से करें हस्ताक्षर, कागजों को मोड़ने से करें परहेज, वरना खारिज हो सकता है ई रिटर्न। (विस्तृत समाचार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 03-01-2013)

व्यावसायिक इलाकों की सर्किल रेट बढ़ाने का सर्वे

राजधानी के व्यावसायिक इलाकों के सर्किल रेट में बढ़ोतरी के लिए जमीन की वास्तविक कीमत का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में जहां सर्किल रेट में 30 से 300 फीसदी की वृद्धि की गयी थी, वहीं इस वित्तीय वर्ष 50 फीसदी तक बढ़ोतरी की उम्मीद है। राजधानी समेत जिले के शहरी इलाकों के रियल इस्टेट में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने मिनिमम वेल्यूशन रेट में संशोधन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत वास्तविक बाजार मूल्य व एमवीआर में आये अंतर को देखते हुए स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिला अवर निबंधक अशोक कुमार ठाकुर के मुताबिक कई व्यावसायिक इलाकों में बाजार से सरकारी मूल्य काफी कम है, जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। इस बार पटना के ग्रामीण इलाकों के एमवीआर में संशोधन नहीं होगा। केवल शहरी इलाकों के जमीनों का मूल्यांकन किया जायेगा। शहरी इलाकों में प्रतिवर्ष, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह रेट दो साल में एक बार रिवाइज होता है। पांच श्रेणी में बंटी राजधानी की जमीनों का निरीक्षण कर नये एमवी आर का निर्धारण होना है। इसके लिए पहली बार राजस्व विभाग के पदाधिकारी जमीनों का मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। राजधानी के पॉश व उससे जुड़े इलाके बैरिया, सोना, गोपालपुर चिपुरा, उदैना आदि में तीन गुणा अधिक कीमत का निर्धारण किया जाना है।

(साभार : प्रभात खबर, 02.01.2013)

क्या है जीएसटी ?

जीएसटी को लेकर भारत में काफी दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है।

सेवा एवं वस्तु कर यानी सर्विस एंड गुड्स टैक्स (जीएसटी) एक मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) है। यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाये जानेवाले सभी परोक्ष करों (इनडायरेक्ट टैक्स) की जगह लेगा। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लगाया जाता है। जहां जीएसटी की व्यवस्था लागू नहीं होती है वहां वस्तुओं और सेवओं पर अलग-अलग कर लगाये जाते हैं,जिनकी दरें भी अलग-अलग होती है।

अगर भारत की बात करें, तो वर्ष 2006-07 के साथ आम बजट में पहली बार इसका जिक्र किया गया था। जीएसटी लागू होने से कई तरह के लाभ होंगे। अगर यह लागू हो गया तो मैनूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र पर कर का बोझ एक समान पड़ेगा। कर का दायरा बढ़ने से कई चीजों पर कर का बोझ कम होगा। इसके अलावा कर संग्रह में हेराफेरी की संभावना भी कम हो हो जायेगी। इससे कुछ राज्यों के राजास्व में बढ़ोतरी होने की संभावना के साथ ही कुछ चीजों के दामों में भी कमी आ सकती है।

दुनिया के कई देशों में इसकी दरें अलग-अलग हैं। आस्ट्रेलिया में जीएसटी रेट 10 फीसदी है जबकि फ्रांस में 19.6 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाता है। स्वीडन में जहां इसकी दर केवल 25 फीसदी है वहीं जापान में केवल पांच फीसदी जीएसटी लगाया जाता है। भारत में जीएसटी पर राजनीतिक सहमति न बन पाने के कारण कभी यह अधर में लटका हुआ है। भारत के संघीय स्वरूप को देखते हुए इस बात की संभावना है कि यहां जीएसटी को दोहरे स्वरूप में लागू किया जा सकता है।

(साभार - प्रभात खबर 07-01-2013)

उप मुख्यमंत्री ने वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की, दिये निर्देश

- **वैट सलाहकार समितियों की आयोजित हो बैठक**
- **भामाशाह सम्मान के लिए तैयार की जाये व्यापारियों की सूची**

आगामी 2 फरवरी 2013 को राज्य के सभी वाणिज्य कर अंचलों में एक साथ वैट संलाहकार समितियों की बैठक आयोजित करते हुए सदस्यों से आवश्यक सुझाव प्राप्त किये जायें। ये निर्देश उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वाणिज्य कर विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा-बैठक में दिये। श्री मोदी ने कहा कि बैठकों की कार्यवाही मुख्यालय भी तलब की जाये, ताकि आवश्यकतानुसार उन पर समुचित विचार किया जा सके। बैठक में मोदी ने भामाशाह सम्मान योजना के तहत चयनित व्यापारियों को सम्मान प्रदान करने में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की । उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि इस योजना के तहत चयनित सफल व्यापारियों को आगामी 16 फरवरी 2013 को प्रत्येक अंचलों में कार्यक्रम आयोजित करते हुए अनिवार्यत: सम्मानित किया जाए। श्री मोदी ने कहा कि विगत दो वर्षों 2010-11 एवं 2011-12 की सम्मान-सूची तैयार कर संबन्धित सफल व्यवसायियों को अनिवार्यत: प्रत्येक अंचल मे उक्त दिवस को भामाशाह सम्मान प्रदान किए जायें । श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2012-2013 के लिए भी चयन-प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाये एवं इस वर्ष से इस सम्मान-कार्यक्रम को राज्यस्तर पर भामाशाह जयंती के अवसर पर आगामी जून महीने में आयोजित किया जाये। बैठक के दौरान श्री मोदी को अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य में विज्ञापन-कर की वसूली वाणिज्य कर विभाग भी करता है एवं नगर निकाय भी अपने-अपने क्षेत्रों में इस कर की वसूली करते हैं। कर-संग्रहण की इस द्वैध व्यवस्था को अप्रसांगिक मानते हुए बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विज्ञापन-कर की वसूली का दायित्व नगर-निकायों को सौंपने के मुद्दे पर विधि विभाग की राय प्राप्त करते हुए आगे की कार्रवाई की जाये। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री विगत दिसम्बर महीने में भी नहीं बढ़ी है। दिसम्बर 2012 मे पट्रोलियम पदार्थो की बिक्री से प्राप्त होने वाले कर -राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में मात्र 10 प्रतिशत की ही वृद्धि पाई गई है। बैठक में वाणिज्य कर आयुक्त सुधीर कुमार एवं अन्य सभी वरीय विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

(साभार : सन्मार्ग, 3-1-2013)

GOVERNMENT OF BIHAR
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

26 TH DECEMBER, 2012

Notification No 7572 Dated 27/12/2012 : In exercise of the powers conferred by Commercial Taxes Department Notification Number S.O. 116 dated 4th July, 2012 , the Commissioner hereby directs that the provisions of the rule specified in column (2) of the Table appended hereto shall come into force with effect from the date specified in column (3) of the said Table :

Sl.No.	Rule	Date of effect
(1)	Sub- rule (6) of Rule 41 of the Bihar value Added Tax Rules, 2005 read with sub - rule (1)of Rule 40 of Bihar Value Added Tax Rules, 2005	28th January 2013

2. This notification shall apply to all consignments of taxable being transported from any place within the state of Bihar to any place outside the State of Bihar.

sd/
(Sudhir Kumar)
Commissioner, Commercial Taxes, Bihar, Patna

बिहार सरकार

वाणिज्य कर विभाग

पत्रांक - विक्रीकर / विविध 03/06-047 / पटना, दिनांक 4/1/2013

प्रेषक, सुधीर कुमार
आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,
सभी अंचल प्रभारी।

विषय- अंचल स्तर पर वैट सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 02-02-2013 को आयोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 02-02-2013 को पूर्व से गठित अंचलस्तरीय वैट सलाहकार समिति की बैठक आयोजित किया जाना है। उक्त बैठक में विमर्शित विषयों के संबंध में बिन्दुवार ब्यौरा तैयार किया जाना है। उक्त ब्यौरे सहित बैठक का कार्यवृत संयुक्त आयुक्त (प्र०) के माध्यम से दिनांक 08.02.2013 तक मुखयालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाय।

ह/०
विश्वासभाजन
आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि - सभी वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्र०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित। सभी वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्र०) उक्त बैठक के आयोजन एवं कार्यवृत का ससमय सुनिश्चित करेंगे।

तनाव मुक्त व्यापार, तरक्की का आधार !

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार से दूसरे राज्यों को अन्तर्राज्यीय बिक्री करने वाले व्यवसायियों के लिए एक और सरल एवं सुखद अनुभव

अधिसूचना सं-7571एवं 7572 दिनांक 27.12.2012 के द्वारा बिहार राज्य से दूसरे राज्यों को बिक्री किए जाने वाले माल के परिवहन के लिए ऑन -लाईन रोड परमीट के निर्गमन की सुविधा दिनांक 28.01.2013 से प्रभावी होगी।

हेल्प डेस्क नं० : 1800 3456 102

समय : 10.00 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अप (सोमवार से शनिवार)

अधिक जानकारी के लिए www.biharcommercialtax.gov. in पर लॉग ऑन ऑन करें या vattcs. helpdesk@gmall.com पर मेल करें

माल परिवहन हेतु सरल डाटा लोडिंग सिस्टम

• www.biharcommercialtax.gov.in पर लॉगइन करें • सुविधा आइकॉन पर क्लिक करें। • बिहार राज्य से दूसरे राज्यों में माल के परिवहन के लिए खुलने वाले D-X फॉर्म के सभी कॉलमों को ठीक से भरें • **submit** button क्लिक करें। • आपका D-X फॉर्म अपलोड होते ही सिस्टम पर 16 अंकों की सुविधा टोकन जेनेरेट होगा • वाहन के चालक या परिवहनकर्त्ता को यह अंक उपलब्ध करायें • मार्ग में चेकिंग होने अथवा चेक-पोस्ट से गुजरने के समय टोकन संख्या/सुविधा संख्या जाँच करने वाले पदाधिकारी को बतायें। • टोकन संख्या की कम्प्यूटर में प्रविष्टि करते ही भरा हुआ D-X फॉर्म स्क्रीन पर उपलब्ध होगा जिसे Approve करा कर मिनटों में आगे बढें।

है ना सुविधा बिलकुल सरल!

सुविधा से माल परिवहन में आयेगी गति, व्यापारियों की होगी प्रगति

(साभार : हिन्दुस्तान, 6-1-2013)

बिहार सरकार

वाणिज्य कर विभाग

आवश्यक सूचना

अधिसूचना संख्या 7276, दिनांक 06.12.2012 के द्वारा दिनांक 07.01.2013 से 'सुविधा (On Line D-IX Road Permit) को जनित* करने के लिए परिवहनकर्त्ता का नाम एवं वाहन संख्या भरना अनिवार्य कर दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी को कई डीलरों ने सूचित किया है कि 'सुविधा' जनित करते समय कई बार उन्हें ट्रांसपोर्ट एजेन्सी का नाम एवं ट्रक नम्बर की जानकारी नहीं होती है। अतः, ऐसी कठिनाई होने पर ट्रांसपोर्ट एजेन्सी एवं वाहन संख्या के सामने N/Aलिखकर 'सुविधा' (D-IX Road Permit) जनित की जा सकती है। डीलरों को जैसे ही ट्रांसपोर्ट एजेन्सी का नाम एवं ट्रक नम्बर के बारे में जानकारी मिले, वैसे ही वे सिस्टम पर उक्त जानकारी को Updateकर दें। Update करने के लिए डीलरों को निम्न कार्रवाई करनी होगी :

(i) 'सुविधा' आईकॉन पर Click करें।
(ii) View application form में जायें।
(iii) सम्बन्धित बॉक्स में 16 digit का 'सुविधा' नम्बर अंकित करें।
(iv) 'सुविधा' फार्म खुलने पर ट्रांसपोर्ट एजेन्सी का नाम एवं वाहन संख्या संबंधित कॉलमों में अंकित करें।
(v) उक्त जानकारी को Save करें।

2. यह सूचना Update नहीं होने पर चेक-पोस्ट के पदाधिकारी इन दोनों कॉलमों को स्वयं भर कर बगैर किसी अर्थदण्ड के 'सुविधा' Approve करेंगे।

3. यह ध्यान रखें कि बिहार की सीमा में प्रवेश के बाद ट्रांसपोर्ट एजेन्सी का नाम एवं ट्रक नम्बर का कॉलम Blank या उसके सामने N/A अथवा 00 नहीं लिखा रहे। बिहार में प्रवेश के बाद ऐसी 'सुविधा' (D-IX Road Permit) को निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा अपूर्ण समझा जायेगा और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

ह०/-
(सुधीर कुमार)
आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, बिहार, पटना

* नोट – ड्राईवर का नाम एव लाईसेन्स नम्बर को भरना अनिवार्य नहीं है।

लोकपाल के पास आप किन समस्याओं को लेकर जा सकते हैं:

1. **निम्नलिखित से सम्बन्धित दावों की चुकौती या निपटान में विलम्ब:**
   • रिफन्ड जारी करना • ब्याज अधित्याग याचिका • अपील के प्रभाव • आवेदनों में संशोधन • जब्त खातों एवं परिसंपत्तियों को निर्मुक्त करवाना • पैन का आवंटन / पैन कार्ड जारी करना
2. **कोई अन्य मामला जहां प्रशासकीय मामलों में सरकार के निर्देशों का उल्लंधन किया गया हो या उनका पालन न किया गया हो।**
   आप निम्नलिखित मामलों में चूक होने पर भी शिकायत दर्ज़ कर सकते हैं:
   • स्रोत पर काटे गए कर सहित, अदा गए करों हेतु क्रेडिट देने में • संवीक्षा हेतु मामलों के चयन करने में पादर्शिता रखने में • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिशानिर्देशों, परिपत्रों एवं अनुदेशों का पालन करने में • आयकर कार्मिकों द्वारा सही कार्य समय का पालन करने में • निर्धारिती द्वारा भेजे गए पत्रों एवं दस्तावेजों की पावती भेजने में • रिकॉर्ड या रजिस्टर का रख-रखाव या अद्यतन करना जिसके न करने पर परेशानी हो।
   यह एक व्याख्यात्मक सूची है और सर्वसमावेशी नहीं है।

आयकर विभाग ने देशभर में 12 आयकर लोकपालों की नियुक्ति की है:-

• मुंबइ • दिल्ली • बेंगलूरू • लखनऊ
• चेन्नई • पुणे • कोलकाता • अहमदाबाद
• हैदराबाद • चण्डीगढ़ • भोपाल • कोचीन

इनके पते एवं क्षेत्राधिकार की जानकारी हेतु www. incometaxindia. india gov.in पर लॉग ऑन करें।

(साभार : प्रभात खबर, 3-1-2013)

Your PAN card may turn 'pain card'

पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड पिछले कुछ सालों में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। पैन कार्ड न सिर्फ एक इंपॉर्टेंट आईडी का काम करता है, बल्कि यह व्यक्ति की मॉनेटरी इनफॉर्मेशन का सबसे अहम जरिया भी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इसका रोल खासा अहम हो जाता है, जबकि अब तो पैन कार्ड का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट्स, बैंक्स और रीयल एस्टेट व व्हीकल्स में खरीदारी के दैरान भी कंपलसरी हो गया है। पैन कार्ड की बढ़ती इंपॉर्टेंस के कारण इसमें फ्रॉड का खतरा भी काफी बढ़ गया है। मतलब ये कि आपका पैन कार्ड आपके फ्रॉड की वजह भी बन सकता है। आइए जानिए कि कैसे होता है ये फ्रॉड और क्या हैं इससे बचने का तरीका।

DO NRIs require PAN card ?

अगर कोई नॉन रेसीडेंशियल इंडियन (एनआरआई) इंडिया में किसी बिजनेस से अर्निंग्स करता है तो रिटर्न फाइल करते समय उसके लिए पैन कार्ड जरूरी है। इसके तहत इंडिया में इनवेस्टमेंट, बैंकिग ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी डीलिंग या ऐसी ही कोई अन्य मनी ट्रांजैक्शन शमिल है।

यहां भी जरूरी है पैन कार्ड

कई ऐसी फील्ड भी हैं, जहाँ पैन कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य हो चुका है। हालांकि इसके बारे में लोग बहुत ज्यादा अवेयर नहीं हैं। तो जारिए और किन चीजों में अहम है पैन कार्ड।

• **Bank fixed Deposits:** अगर आपको किसी बैंक में 50 हजार रुपए से अधिक की रकम को फिक्स्ड डिपॉजिट करना है तो पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी देना अनिवार्य है। अगर आप पैन की कॉपी नही देते हैं तो बैंक आपकी एफडी पर मिलने वाले इंट्रेस्ट रेट का 20 परसेंट डिडक्ट कर लेंगे। यही नहीं बैंक टीडीएस सर्टिफिकेट भी इश्यू नहीं करेंगे। ऐसे केसेज में फॉर्म 15जी/15एच और दूसरे एग्जंप्शन सटिफिकेट्स इनवैलिड हो जाएंगे।

• **Payment in Hotels and Restaurants:** अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट के बिल के तौर पर 25 हजार से अधिक की रकम चुका रहे हैं तो आपको पैन कार्ड की एक कॉपी सबमिट करनी होगी।

• **Payment to Travel Agents:** इसी तरह अगर आप किसी ट्रैवेल एजेंट्स

को फॉरेन ट्रिप के लिए या फॉरेन करेंसी के लिए 25 हजार रुपए का पेमेंट कर रहे हैं तो भी आपको पैन कार्ड की कॉपी देना जरूरी है।

- **Rental Agreements:** मौजूदा दौर में कई मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले प्राइमरी आईडी प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड की कॉपी मांगते हैं।
- **Jewellery shops:** अगर आप किसी ज्वैलरी शो रूम से हाई वैल्यू की ज्वैलरी कैश में परचेज कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड की कॉपी मुहैया करानी होगी। इसका मुख्य मकसद ब्लैक मनी के इस्तेमाल पर रोक लगाना है।
- **Other usages of PAN include:** सेकेंड हैंड कार की खरीदारी पर पैन कार्ड देना होगा। इसके अलावा टेलीफोन के इंस्टालेशन पर और वीजा फैसिलिटेशन सेंटर पर भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। **(विस्तृत विवरण : आई नेक्स्ट 04.01.2013)**

अधिक से अधिक ऋण दें बैंक : रेणु

सूबे की उद्योग एवं आपदा प्रबंधन विभाग की मंत्री डा०रेणु कुशवाहा ने बैंकों से अपील की है कि वह युवाओं को अधिक से अधिक ऋण मुहैया कराए। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बिहार को मिले 148 करोड़ रुपये में से मात्र 5 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। वे स्थानीय पाटलिपुत्र मैदान में पिछले एक महीने से चल रहे राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग महोत्सव 2012 के समापन समारोह को संबोधित कर रहीं थीं।

श्रीमती कुशवाहा ने बताया कि राज्य सरकार कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। हस्तकरघा को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख तक का ऋण माफ किया गया । उनकी शिकायत थी कि बैठकों में बैंक के छोटे अधिकारी शामिल होते हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 4-1-2013)

वाहन के साथ जिंदगी बचाने का भी लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ वाहन चलाने का आपका अधिकार पत्र ही नहीं, दूसरों की जिंदगी बचाने का घोषणापत्र भी होगा। इसका आवेदन करने वाले हर व्यक्ति को बताना होगा कि किसी हादसे के वक्त वह अंग दान करना चाहता है या नहीं। इसके लिए कानूनी प्रावधान में जरूरी बदलाव की लंबी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसे अनिवार्य करने का आदेश जारी न हो सका है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बताते है कि राज्य सरकारों, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और गैर सरकारी संगठनों आदि से चर्चा के दौरान यह तय किया जा चुका है कि ड्राइविंग लाइसेंस में ही अंग दान का कालम तय हो। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय और कानून मंत्रालय के साथ भी इस पर चर्चा हो चुकी है। अब सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को इस संबंध में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का आदेश भर जारी करना हैं, जिसे वह बिना किसी देरी के कभी भी कर सकता है। अंग प्रत्यारोपण और शल्य चिकित्सा के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ प्रो. संदीप गुलेरिया इसे भारत में मृत्यु बाद अंग दान पर जागरुकता के लिहाज से बेहद अच्छा कदम बताते है।

जीती रहे जिंदगी

- ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हुए देनी होगी मृत्यु बाद अंग दान पर राय
- हादसे में जान गई तो कई लोगों को दे सकेंगे जीवन दान

(साभार : दैनिक जागरण, 31-12-2012)

Attitude

1. *Heavy rains remind us of challenges in life. Never ask for a lighter rain. Just pray for a better umbrella. That is attitude.*
2. *When flood comes, fish eat ants and when flood recedes, ants eat fish. Only time matters. Just hold on, God gives opportunity to everyone!*

श्री पचीसिया जी नहीं रहें

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व कोषाध्यक्ष श्री बी० के० पचीसिया का असामयिक निधन दिनांक 7 जनवरी, 2013 को मस्तिष्क आघात के पश्चात् इलाज के दौरान हो गया । वे 73 वर्ष के थे । स्थानीय गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया ।

स्व० पचीसिया जी वर्ष2004-05 एवं 2005-06 में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कोषाध्यक्ष थे । इसके अतिरिक्त वे बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, माहेश्वरी सभा, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन, रोटरी पाटलीपुत्रा एवं बॉकीपुर क्लब से भी जुड़े थे । स्व० पचीसिया जी कागज एव प्लाईउड के व्यवसाय से जुड़े थे । कटक में उन्होंने बेसिक ड्रग (कैमिकल) की एक फैक्ट्री भी लगा रखी थी ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने उनके असामयिक निधन को व्यवसाय जगत की एक अपूरणीय क्षति बताया । उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति एवं दिवंगत आत्मा को चिर स्थाई शांति एवं सद्गति प्रदान करें । बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की दिनांक 12 जनवरी, 2013 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में पचीसिया जी की स्मृति में दो मिनट का मौन रख कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी।

बीसीएसबीआई कोड्स (संहिताओं) के जरिए अपने अधिकार जानिए

आरबीआई द्वारा स्थापित बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडडेस बोर्ड ऑफ़ इंडिया (बीसीएसबीआई) एक स्वतंत्र निकाय है। इसने कोड्स एवं स्टैंडर्डस (संहिताएं एवं मानक) निर्धारित किए हैं, जिनका वैयक्तिक तथा सूक्ष्म व लघु उद्यमों के ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय पालन करने हेतु सदस्य बैंक वचनबद्ध हैं। ग्राहकों के उचित व्यवहार हेतु इन कोड्न में बैंकिंग कार्यों के न्यूनतम मानक समाहित हैं।

आज ही कार्य करें: इन कोड्स की प्रति के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। इसकी प्रतियां आपकी बैंक तथा बीसीएसबीआई की वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं।

ग्राहक जागृति हेतु जारी एवं प्रवर्तनकर्ता : **Website : www.bcsbi.org.in**

(साभार : हिन्दुस्तान, 7-1-2013)

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय,बिहार,

पटना वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें

सर्वसाधारण को एतद् सूचित किया जाता है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक दिनांक 4,5 एवं 6 फरवरी 2013 को 12.00 बजे मध्याह्न पुराना सचिवालय स्थित अध्यक्ष -सह सदस्य राजस्वपर्षद-सह अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार,पटना के कार्यालय कक्ष में होगी। बिहार -झारखण्ड, बिहार-बंगाल एवं अन्तर्राज्यीय/ अंतर्क्षेत्रीय मार्गो पर स्थायी/ अस्थायी परमिटों की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2013 के अपराह्न 4.00 बजे तक होगी । रिक्ति की सूची परिवहन विभाग के वेवसाईट http: //transport.bih. nic. पर देखी जा सकती हैं। विहित आवेदन पत्र विभागीय वेवसाईट पर दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार ही समर्पित किये जायें।

यदि बैठक के दौरान किसी भी आवेदन के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो प्राधिकार की बैठक में नियमानुसार निर्णय अपेक्षित होगा ।

प्रधान सचिव-सह-राज्य पारिवहन आयुक्त, बिहार, पटना

(साभार : प्रभात खबर, 7-1-2013)

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

K. P. Singh
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretory

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635 •Fax No. : 0612-2677505 • E-mail : bccpatna@gmail.com

Price Rs. 0.25
Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296